भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1118
दिनांक 21 जुलाई, 2017 को उत्तर के लिए

निराश्रित महिलाओं का कल्याण

1118.श्री बी. श्रीरामुलु:
श्रीमती अंजू बाला:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में गरीब, विधवा और निराश्रित महिलाओं के कल्याण के लिए उन्हें शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है या करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि आबंटित/जारी और उपयोग की गई है;

(ग) उन केंद्रों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है जहां ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी महिलाओं को इन कार्यक्रमों से लाभ मिला है;

(ड.) उक्त अवधि के दौरान इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की धीमी गति के क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

श्रीमती कृष्णा राज महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(क) : जी नहीं । तथापि, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्वाधार गृह स्कीम क्रियान्वित कर रहा है जिसका लक्ष्य दुष्कर परिस्थितियों की ऐसी पीडित महिलाएं हैं जिन्हें पुनर्वास हेतु संस्थागत सहायता की आवश्यकता है ताकि वे सम्मानपूर्वक जिंदगी जी सकें। स्कीम में दुष्कर परिस्थितियों की पीडित महिलाओं के लिए आश्रय, भोजन, कपडा और सेहत की देखभाल के साथ–साथ आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा परिकल्पित है। स्वाधार गृह योजना के तहत राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एनसीवीटी) के अनुमोदित प्लान के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति के रूप में क्रियान्वयन एजेंसियों को मंत्रालय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ख) से (च) : उपरोक्त (क) के उत्तर को देखते हुए कोई जवाब अपेक्षित नहीं है।

*****